वरीय प्रभारी पदाधिकारी

शाखा........

पत्रांक– 4496

बिहार सरकार

पंचयती राज विभाग

प्रेषक,

अमिताभ वर्मा,

प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक 19 / 07 / 2013.

विषयः जिला परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं पंचायत समिति के प्रमुख/उप प्रमुख के विरूद्ध लाये गये अविश्वास प्रस्ताव सफल होने के उपरान्त अतिशीघ्र रिक्त पद पर निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग से सिफारिश करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–70 एवं धारा–44 में क्रमशः जिला परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं पंचायत समिति के प्रमुख/उप प्रमुख को उनके पद से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटाये जाने का प्रावधान है। विभिन्न जिलों से यह सूचना प्राप्त हुई है कि इन पदधारकों के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है एवं प्रस्ताव लाये जाने के पश्चात् जिला परिषद/पंचायत समिति की बैठक भी बुलाई जा चुकी है। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य ही अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत यह सुनिश्चित करेंगे कि इस विशेष बैठक की कार्यवाही स्वच्छ एवं पारदर्शी ढ़ंग से हो।

जिला परिषद के अध्यक्ष या पंचायत समिति के प्रमुख के विरूद्ध लाये गये अविश्वास प्रस्ताव सफल होने पर वे उक्त धाराओं के अन्तर्गत पद से हटाये समझे जायेंगे एवं संबंधित पद रिक्त समझा जायेगा। उस स्थिति में अधिनियम, 2006 की धारा–69 (2) एवं धारा–43 (ग) के प्रावधान के अनुसार क्रमशः जिला परिषद के अध्यक्ष एवं पंचायत समिति के प्रमुख की शक्तियों का प्रयोग उपाध्यक्ष एवं उप प्रमुख द्वारा तब तक किया जायेगा जब तक अध्यक्ष एवं प्रमुख के पद का निर्वाचन नहीं हो जाता है। निर्वाचन में विलम्ब होने पर इस कार्यकारी व्यवस्था से इन संस्थाओं का कार्य निष्पादन के साथ–साथ इन पदों पर किया गया आरक्षण व्यवस्था भी कुप्रभावित होगा चूँकि जिस वर्ग विशेष के लिए यह पद आरक्षित है, उस वर्ग के सदस्य भी अनेक संस्थाओं में इसके प्रभार से वंचित रह जायेंगे।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि रिक्त पद को यथाशीघ्र निर्वाचन के माध्यम से भरा जाये। अतएव ज्यों ही इन पदों पर रिक्ति होती है उसी दिन आप यह सुनिश्चित करेंगे कि बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम–121 के अंतर्गत आप जिला निर्वाचन पदाधिकारी की हैसियत से इस रिक्ति की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित करें एवं अतिशीघ्र निर्वाचन हेतु प्रारम्भिक तैयारी पूरी कर ले ताकि निर्वाचन आयोग से आदेश

प्राप्त होते ही बगैर समय नष्ट किये ही इन रिक्त पदों पर निर्वाचन सम्पन्न कराया जा
द्वारा भी उक्त स्थिति से राज्य निर्वाचन आयोग को अवगत कराते हुए यह अनुरोध कि
कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी से इन पदों की रिक्ति की सूचना प्राप्त होते ही कृपया
पदों पर निर्वाचन कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करेंगे।

विश्वास

प्रधान स

ज्ञापांक – 4496 पटना, दिनांक 19/0

प्रतिलिपि – सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
प्रेषित।

प्रधान स